-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष 2020 में थाना नरैनी क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति, ससुर व सास को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 04-04 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना नरैनी क्षेत्र अन्तर्गत दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति, ससुर व सास को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि जनपद बदौसा क्षेत्र के रहने वाले अबरार खान पुत्र सरफराज खान ने दिनांक 28.12.2020 को थाना नरैनी पर सूचना दी कि उनकी बहन शबाना की शादी थाना नरैनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कल्हरा में हुई थी जिसको उसके घरवालों ने दहेज के लिये प्रताड़ित कर दिनांक 25.12..2020 को जान से मार दिया। इस सम्बन्ध में थाना नरैनी में मु0अ0सं0 223/20 धारा 498ए/304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नरैनी श्री सियाराम द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 23.03.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी प्रवीण कुमार के अथक प्रयासों से आरोपी पति, ससुर व सास को मा0 सत्र न्यायालय बांदा द्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 04-04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **अब्दुल रहमान पुत्र अब्दुल कुद्दूस निवासी कल्हरा थाना नरैनी जनपद बांदा।**
2. **अब्दुल कुद्दूस पुत्र अब्दुल अजीज निवासी कल्हरा थाना नरैनी जनपद बांदा।**
3. **सन्नो पत्नी अब्दुल कुद्दूस निवासी कल्हरा थाना नरैनी जनपद बांदा।**